Area	9d. Inspection by Appropriate Authority for felling trees (prior to commencement of construction activities)
Recommendation	Design and implement a system for identifying establishments that need to be inspected based on computerized risk assessment.
Response	The department has done risk categorization. Now the cases for Tree Cutting can be divided into two categories on the basis of risk, one is low risk in which there is no need of inspection and second is high risk in which inspection is required.  Such cases where an applicant wants to fell maximum two trees in his own plot of maximum 500 Sq. meter and replanting activities are complied with come under low risk category. For these cases no inspection is required. In such cases self-certification is sufficient & shall be considered as tree cutting permission
	For the cases where inspection is required, the well-defined procedure has been laid down. Accordingly drafts of amendment has been prepared and legal process for amendment has been started in the MP Vrikshon ka Parirakshan (Nagriya Kshetra) Act, 2001 and MP Vrikshon ka Parirakshan (Nagriya Kshetra) Rules, 2002.  Copy of the draft of the amendment is attached

## नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

	<u> </u>	
भापाल,	ादनाक	

अधि. क्र	मध्यप्रदेश	वृक्षों का	परिरक्षण	(नगरीय	क्षेत्र)
अधिनियम 2001 (क्रमांक-20 सन् 2001) की	धारा 24 द्वा	रा प्रदत्त श	क्तियों को	प्रयोग में	लाते
हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वृक्षो	ों का परिर	क्षण (नगरी	य क्षेत्र) र्	नेयम 200	)2 में
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-		•	•		

### संशोधन

- 1. उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किये जाये, अर्थात:—
- "(3) उपनियम (1) में दिये गये आवेदन के अतिरिक्त किसी वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने, हटाने, जड़ से उखाड़ने या तने को जड़ से पृथक् करने या किन्ही भी साधनों से उसके व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति प्ररूप 3 में नगरीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले वृक्ष अधिकारी को निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वप्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेगा :—
- (क) स्वप्रमाण पत्र अधिकतम 500 वर्गमीटर भू—खण्ड के लिये मात्र एक बार वृक्ष काटने हेतु मान्य होगा।
- (ख) उक्त स्वप्रमाण पत्र अधिकतम दो वृक्षों के लिये मान्य होगा।
- (ग) काटे गये वृक्षों का ब्यौरा स्वप्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (घ) काटे गये वृक्षों के स्थान पर आवेदक द्वारा उसी स्थल पर या परिसर पर, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जातियों के काटे गये वृक्षों से चार गुना वृक्षों को लगाया जायेगा अथवा वृक्ष अधिकारी द्वारा, निर्धारित राशि को जमा कराया जायेगा।

उपरोक्त स्वप्रमाण पत्र की प्राप्ति अभीस्वीकृति को इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा के रूप में मान्य किया जायेगा। स्वप्रमाण पत्र में मिथ्या अभिवचन की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 तथा नियम 6 के अनुसार वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदक पर शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

2. नियम 3 के उपनियम (3) के लिये निम्नलिखित प्ररूप — 3 को नियमों में सिम्मलित किया जाता है :—

## प्ररूप—तीन

# (नियम 3 (3)) वृक्षों को काटकर गिराने का स्वप्रमाण पत्र का प्ररूप (स्वप्रमाण पत्र दो प्रतियों में स्वयं प्रस्तुत करें)

रजिस्टीकत

प्रति,			
व्राप, वृक्ष अधिकारी			
_			
मध्यप्रदेश ।			
(			
विषय:नगरीय क्षेत्र	में वृक्ष (वृक्षों) को काटकर	गिराने हेतु स्वप्रमाण पत्र।	
महोदय,			
<b>消</b>	(आवेदव	क का नाम) आयु	वर्ष
निवासी	[(पत	π)	मध्यप्रदेश
वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय	क्षेत्र) नियम २००२ के निय	म 3 (3) के उपबंधों के अध	ग्रीन ऊपर वर्णित स्थल पर
वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गि	राने का एतद्द्वारा, प्रमाण प	त्र प्रस्तुत करता हूं, ब्यौरे नि	म्नानुसार है :-
1. आवेदक का नाम		:	
2. पिता / पति का नाम		:	
3. आवेदक का पता		:	
4. टेलीफोन			
5. ई–मेल यदि हो		:	
६. भूखण्ड पर अवस्थित कृ	जल वक्षों का विवरण :—		
वृक्ष का अनुक्रमांक	प्रजाति	भूतल से 1.37 मीटर पर	वृक्षों की दशा (क्या वृक्ष
241 471 01371 1147	Nelliti	गोलाई	मृत, मरणासन्न, रोगग्रस्त,
			मृतप्राय, टूटे हुए, बिजली
			से प्रभावित, हवा से
			उखड़े हुए, जड़ से
			उखड़े हुए, अवस्थ, अर्द्ध
			स्वस्थ, स्वस्थ आदि है)
(			
· · · · ·	कतम दो) के भूखंड की		
अवस्थिति, जिनको काटक	र गिराया जाना है।	मार्ग	
		कालोनी	
		खसरा क्रमांक	
		पटवारी हल्का क्रमांक	
		जोन क्रमांक	
		नगरपालिका, वार्ड क्रमांक	
		<del></del>	

<ol> <li>वृक्ष (वृक्षों) का ब्यौरा जि</li> </ol>	ननको काटकर गिराया जाना	ं है। (अधिकतम दो) :—	
वृक्ष का अनुक्रमांक	प्रजाति	भूतल से 1.37 मीटर पर गोलाई	वृक्षों की दशा (क्या वृक्ष मृत, मरणासन्न, रोगग्रस्त मृतप्राय, टूटे हुए, बिजली से प्रभावित, हवा से उखड़े हुए, जड़ से उखड़े हुए, अवस्थ, अर्द्ध स्वस्थ, स्वस्थ आदि है)
आवेदक वृक्ष (वृक्षों) को का  10. क्षति पूरक वृक्षारोपण व  (क) स्थल की अवस्थि  (मकान / प्लाट व  निरीक्षक वृत्त (स  हल्का क)  (ख) रोपण हेतु उपल  (ग) भूमि का नक्शा  (घ) रोपण किये व  उनकी स्थिति  (ड) वृक्षारोपण का प  11. वृक्षारोपण न किये  अधिकारी द्वारा निर्धारित स	का ब्यौरा :—  गित  इमां, मार्ग, कालोनी राजस्व निर्कल) क पटवारी तहसील, जिला एवं वार्ड  नब्ध क्षेत्र संलग्न करें  गये वृक्षों के प्रकार तथा	: : : : क्रमांक / दिनांक : बैंक / कोषालय	
	वचन	<b>नबं</b> ध	
स्थाई निवासी इस स्वप्रमाण पत्र में दी किसी भी बात को छिपाया	पुत्र / पत्नी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम नहीं गया है और न ही विव करता हूं कि मेरे द्वारा क्षति	एत इान तथा विश्वास के अ कृत कर प्रस्तुत किया गया	द् द्वारा शपथ लेता हूं कि नुसार सत्य हैं तथा उसमे है।
मैं यह पुष्टि करत का अभिदाय क्षतिपूरक वृक्ष	अध् ा हूं कि वृक्ष अधिकारी द्वारा ारोपण हेतु किया गया हैं।		ार रुपये
		हस्ताक्षर	
		आवेदक का नाम	
		पता	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ( ) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक	
अधि. क एफ –अठारह–3– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348	के
खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क एफ –अठारह–:	3—
दिनांक 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एकदद्वारा प्रकाशित कि	या
जाता है।	
मध्यातिष के ग्रान्यात्व के नाम से तथा आदेषानस	IJ

	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार उपसचिव
	Bhopal, the
the Madhya Pradesh Vrikshon 2001) the State Government h	ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001 (No. 20 o ereby, makes the following amendment in the Madhya Pradeslriya Kshetra) Rules, 2002, namely:-

### **AMENDMENT**

- 1. In the said rules, in rule 3, after sub rule (2) the following new sub rule shall be inserted, namely:-
- "(3) Apart from the application in sub rule (1), any person desiring to fell, remove, uproot or sever stem from the root system, or dispose of by any means a tree (s) shall submit a self certificate in Form-III to the Tree Officer having jurisdiction on concerning urban area subject to the following conditions:-
- (a) Self certificate shall be valid to cut tree (s) only for one time for a plot of maximum 500 Sq. meters;
- (b) Such self certificate shall be valid for maximum two trees;
- (c) The details of the felled trees shall be submitted along with the self certificate;
- (d) In place of felled trees, the applicant shall plant four times of the number of felled trees of the same or other suitable species on the same site or premises, or shall deposit the amount prescribed by the tree officer;

The acknowledgement receipt of above stated self certificate shall be considered permission for tree cutting under these rules. In case of false statement in self certificate, a penalty shall be levied on the applicant by the tree officer under section 18 of the Act and Section 6 of the rules.

2. For sub rule (3) of rule 3 the Form-III shall be inserted in the rules."

### FORM -III

[Rule 3 (3)]

### SELF CERTIFICATE FOR FELLING TREE (S)

(Submit self certificate by hand in 2 copies)

To,						
	The Tree Officer, Urban Area					
		District				
	M.P.					
Sub:-	Self Certificate	for felling tree (s) in the	urban area of			
Dear S	Sir,					
	I		(name of applicant) age	ed vear		
recide						
		sions of the Rule 3 (3)				
	_	o fell tree (s) at aforement		= -		
KSHCu	(a) Ruics, 2002 to	Ten tree (s) at afficient	noned site. The details an	c as follows		
1. Nar	ne of the Applica	nt	:			
	ner's / Husband's		: :			
3. Add	dress of Applican	t				
4. Tele	ephone					
5. E-m	nail, if any		:			
6. Det	ails of the total tr	ee (s) situated on the plot	:-			
S. No.	of Trees	Species	girth at 1.37 Meters	State condition of tree		
			from ground	(s)		
				(Whether dead, dying,		
				diseased, moribund,		
				broken, lightening		
				affected, wind fallen,		
				uprooted, unsound, half sound, sound		
				etc.)		
				cic.)		
7. De	tails of the plot	on which the tree (s)	House/Plot No.:			
which	fells are located.		Road			
Cole		Colony:				
			Khasra No.:			
			Patwari Halka No. :			
			Zone No			
			Municipal Ward No. :			
			District:			

8. Details of trees (s) (N	Maximum two) which is g	going to be fell :-		
S. No. of Trees	Species	girth at 1.37 Meters	State condition of tree	
		from ground	(s)	
			(Whether dead, dying,	
			diseased, moribund,	
			broken, lightening	
			affected, wind fallen,	
			uprooted, unsound, half sound, sound	
			etc.)	
			Cic.)	
9. State reasons in deta	ail why the tree (s) has	·		
been felled by the appli	cant.			
10. Detail of land for co	ompensatory plantation;	·		
(a) Location of the site				
(House/Plot No. Stree	et, Colony, R.I. Circle	•		
No.; Patwari Halka N	No., Tehsil, District &			
Ward No.)				
(b) Area available for p	lanting			
(c) Enclose maps of lan	· ·	·		
(d) Type of planted trees and their condition		<u>:</u>		
(e) The Photograph of planted trees.				
(v) The Thotograph of p	, <b></b>			
11. Detail of payment	of fee as prescribed by	No		
tree officer in case of n	on plantation (enclosed	Bank/Treasury :		
receipt D.D., Challan, e	etc)	Amount Rs.:		
	UNDER			
			<del>-</del>	
	at resident of		<del>-</del>	
that the particulars prov	vided in this self certifica	te are true to the best of	my knowledge & belief	
and nothing material ha	s been suppressed or dist	orted therein.		
I, further confirm	m that I have planted the	trees and maintain the co	mpensatory plantation.	
	C	or		
I, further confi	rm that I have deposite	d Rs	for compensatory	
plantation as directed by	y the Tree Officer.			
		Signature		
		Name of Applicant		
		Address		

.....

By order and In the name of the Governor
of Madhya Pradesh
(
Deputy Secretary
Madhya Pradesh Urban Development
and Environment